

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: MCDR-MiFLOLST/152/2022-GNR-IBM_RO_GNR Mine code : 38GUJ08039 ID दिनांक: Jul2025

सेवा में : M/s Dhrangadra Chemical Works Limited

OPP. RAILWAY STATION, E-mail: dcwltmines@gmail.com
DHRANGADHRA DHRANGADHRA 363310
Gujarat- 388 225

विषय: गुजरात राज्य के जिले जूनागढ़, तालुका- Malia Hatina में स्थित आपकी चोरवाड आदरी- 1 चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 30.7162 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिट्यू ऑफ माइनिंग प्लान के निरीक्षण स्नेहलकुमार पटेल, सहायक खनन अभियंता द्वारा दिनांक 18.02.2025 को श्री अर्जुनसिंह, माइनिंग इंजीनियर एवं टीम की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

| नियम सं. | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा |
|----------|--|
| 11(1) | No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines: However in your case, It was observed during inspection that Mining operation were being carried out without approval Review of Mining Plan from 2014-15=58545T, 2015-16=39645T, 2016-17=28960T, 2017-18=88680T & 2018-19 (April-18 to June-18) =34620T. The last scheme of Mining was approved vide letter no. 682(23)MS-242/2004 dated 13-05-2013 for the period of 13-05-2013 to 31-03-2014. |

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Digitally signed by
Sanjaya Kumar Sahoo

Date: 18-07-2025

17:45:39

Sanjaya Kumar Sahoo

कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी / Junior Mining Geologist

भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी / Junior Mining Geologist

भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines